

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांकA/85-24./

जबलपुर, दिनांक 22/12/2023

श्री रिकु बिरहा, कोर्ट अटेडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के दिनांक 09.10.2023 से 31.10.2023 तक 23 दिवस बिना सूचना एवं आवेदन पत्र के अनाधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने एवं स्पष्टीकरण का जवाब प्रस्तुत न करते हुये आदेश की अवहेलना करने के फलस्वरूप उक्त अवधि का अवैतनिक किया जाता है।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल
महोदय के आदेशानुसार

सही / -


(संजय कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांकA/85-25./

जबलपुर, दिनांक 22/12/23

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. श्री रिकु बिरहा, कोर्ट अटेडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(संजय कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)